SS
17.1.72

रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 1971 (अग्रहायण 13, 1893)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 1971 (AGRAHAYANA 13, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1003
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1731
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1419
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	4869
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	6213
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	1019
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1619
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	443
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	181
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	2419
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	227
पूरक संख्या 48—	
20 नवम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	2031
30 अक्तूबर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	2041

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1003
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1731
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1419
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	4869
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	6213
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	1019
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1619
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	443
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	181
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2419
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	227
SUPPLEMENT No. 48—	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 20th November 1971	2031
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 30th October 1971	2041

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1971

सं० 70 प्रेज/71—निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन को गंभीर संकटपूर्ण परिस्थितियों में डालते हुए जीवन रक्षा कार्य में उल्लेखनीय साहस का परिचय दिये जाने के लिए राष्ट्रपति उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं :—

1. श्री सतीश जुमानी,
द्वारा—मेजर एन० के० जुमानी,
एच० आर० बैरक्स,
37/6, हैपी वैली,
जबलपुर कैंट,
मध्य प्रदेश ।

23 फरवरी 1971 को सोलह विद्यार्थी, जबलपुर से 6 मील दूर गोहर नदी पर, जमतारा में घूमने गये थे । मध्याह्न भोजन के बाद उनमें से कुछ नदी में तैरने गये । श्री सतीश जुमानी जिन्हें तैरना आता था नदी के पार चले गये और लेट कर धूप सेकने लगे । एक और विद्यार्थी श्री दीपक दत्त किनारे के पास तैरने के पश्चात् बिल्कुल थक गये और उन्होंने नदी की धार में स्थित एक चट्टान का सहारा लेकर सुस्ताना चाहा पर वह ऐसा न कर सके, और गहरे पानी में फंस गये और सहायता के लिये चिल्लाये । श्री राजीव सरीन उनके बिल्कुल निकट तैर रहे थे । उन्होंने श्री दीपक को बाहर खींचने की चेष्टा की किन्तु खुद भी नीचे खिंच गये और दोनों पानी के नीचे पहुंच गये । श्री इन्दर पाल कोहली दोनों को बचाने के लिए वेग से बढ़े । श्री राजीव ने श्री कोहली के लम्बे बालों को पकड़ लिया और शीघ्र ही तीनों पानी के नीचे संघर्ष करने लगे । श्री कोहली ने अपने आप को उनसे छुड़ा लिया और श्री राजीव को बाहर निकालने में सफल हो गये लेकिन श्री दीपक नीचे नदी की तली तक पहुंच गये जहां पानी 12 फुट गहरा था । दूसरे विद्यार्थियों की चीख सुनकर श्री सतीश जुमानी ने तुरन्त नदी पार की और गोता लगा कर उन्होंने श्री दीपक को नदी की तली में मुंह के बल पड़े और गहरे पानी की ओर बहते पाया । श्री जुमानी ने पहले तो श्री दीपक को और आगे बहने से रोका फिर स्वयं और नीचे जाकर अपना सिर श्री दीपक के पेट के नीचे टिकाते हुए ऊपर की ओर जोर का धक्का लगाया जिससे वे दोनों पानी की आधी गहराई में पहुंच गये । एक और धक्के से वे पानी की सतह पर आ पहुंचे और अंततः श्री जुमानी श्री दीपक को किनारे तक लाने में सफल हो गये । श्री सतीश जुमानी के इस बीरतापूर्ण कार्य ने श्री दीपक के प्राण बचा लिए ।

2. श्री बरकतअली नजरअली विरानी,
कमरा नं० 10, बहतुल हबीब बिल्डिंग,
2, नौरोजी हिल रोड,
बम्बई-29,
महाराष्ट्र । **(मरणोपरांत)**

23 सितम्बर 1969 को बम्बई में सगरा मंजिल नाम की एक इमारत ढहने लगी और कुछ बच्चे उसके मलबे के नीचे दब गये । बच्चों के करुण क्रंदन को सुनकर श्री बरकतअली नजरअली विरानी उनकी मदद के लिए दौड़े । इमारत अभी भी ढह रही थी । अतः उसमें घुसना खतरे से खाली न था । फिर भी उन्होंने उसकी परवाह न की । दुर्भाग्य से वह भी मलबे के नीचे दब गये । अपने इस अपूर्व विशिष्ट साहस के लिए उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । परिणामों की बिल्कुल परवाह न करते हुए विपद-ग्रस्तों की सहायता के लिए आगे बढ़कर उन्होंने असाधारण मानवता की भावना और कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

3. श्री भालचन्द्र चिमनराव डिघे,
जनाना बंगला, रामबाग लेन,
4, कल्याण तालुक, जिला थाना,
महाराष्ट्र ।

4 अगस्त 1970 को एक लड़का और एक लड़की रेल की पटरी से होकर पैदल स्कूल जा रहे थे । तेज गति से अपनी ओर आती हुई गाड़ी की ओर न तो उनका ध्यान था और न ही उन्हें उसका पता चला । उन्हें देख गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें सतर्क करने के लिए लंबी सीटी बजाई पर वे पटरी से न हटे । सिविल इंजीनियर श्री भालचन्द्र चिमनराव डिघे ने, जो रेलवे क्रासिंग के नजदीक ही थे, बच्चों पर आये इस खतरे को देखा और उन्हें बचाने के लिए एकदम कूद पड़े । उन्होंने पटरी से लड़के को खींच लिया और फिर लड़की को दूसरी ओर धकेल दिया । वे स्वयं भी गाड़ी के नीचे दबने से बच गये पर उन्हें और लड़की को बहुत चोटें आईं । चोटों के कारण, बाद में लड़की का देहान्त हो गया और श्री डिघे अस्पताल में रहे । अपने जीवन को बहुत भारी जोखिम में डालकर दोनों बच्चों को बचाने के प्रयत्न करने में श्री भालचन्द्र चिमनराव डिघे ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया ।

4. श्री मोहम्मद सैयद अफसर हुसैन,
77/बी, ईलियट रोड,
कलकत्ता-16 ।

(मरणोपरांत)

30 जनवरी 1970 को छात्र श्री मोहम्मद सैयद अफ़सर हुसैन अपनी चचेरी बहन को दफना कर घर लौट रहे थे तो उन्होंने

देखा कि मैक्लियड स्ट्रीट पर एक टायर के गोदाम में भयंकर आग लगी हुई थी। उन्होंने यह भी देखा कि एक घर के कई लोग जिनके आग में जल कर मर जाने का ख़तरा था, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वहां खड़े अनेक दर्शकों की, अपने जीवन को जोखिम में न डालने की सलाह की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए वह मकान के पीछे परनाले की पाइप के सहारे दूसरी मंजिल पर चढ़ गये और कई लोगों और उनके सामान को बचा लिया। उनका शरीर जगह जगह से झुलस गया और आखिरकार वह स्वयं जलती हुई इमारत में आग की लपटों में घिर गये। बाहर निकलने का और कोई रास्ता न देख उन्होंने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। आग से झुलस जाने तथा ऊपर से गिरने के कारण लगी चोटों के फलस्वरूप 18 घंटे बाद उनका देहांत हो गया। श्री मोहम्मद सैयद अफ़सर हुसैन ने प्रशंसनीय साहस और तत्परता का परिचय दिया और दूसरों को बचाने के लिए उन्होंने जो आत्म-बलिदान दिया उसकी समता बहुत कम लोग कर सकते हैं।

सं० 71 प्रेज/71—निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन को गंभीर संकटपूर्ण परिस्थितियों में डालकर साहस और तत्परता का परिचय दिये जाने के लिए राष्ट्रपति उन्हें उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं :—

1. श्री नारायण दत्तात्रे सावंत,
   उप अभियंता यांत्रिक उप-मंडल,
   अलोर, जिला रत्नागिरि,
   महाराष्ट्र।

31 अगस्त 1969 की आधी रात को कोयना नगर, टेल रेस टनल वर्क्स के निकट बहती हुई वशिष्टी नदी में बाढ़ के कारण पानी तेजी से चढ़ गया और पानी टी० आर० टी० के बाहर के छोर के भाग में घुस गया और टनल में पानी भर गया। ड्यूटी पर तैनात तीन कर्मचारी टनल में घिर गये। इस बात का ख़तरा था कि टनल की छत के ढह जाने या चढ़ते हुए पानी में टनल के पूरी तरह डूब जाने से टनल के अन्दर के तीनों व्यक्ति किसी भी क्षण डूब जाते। अंधेरा था और वर्षा अभी तक हो रही थी। सहायता के लिए घिरे हुए व्यक्तियों की चीख सुन, श्री नारायण दत्तात्रेय सावंत ने बहादुरी से टनल के मुंह तक घुस कर पानी से भरी हुई टनल के मुख की ओर से, साहसपूर्वक प्रवेश किया और तैर कर घिरे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर लाने में सफल हुए। श्री नारायण दत्तात्रेय सावंत ने अपने जीवन को ख़तरे में डालकर भरी हुई टनल में फंसे हुए तीन कर्मचारियों के जीवन को बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

2. श्री कुलदीप सिंह,
   ग्राम कोट-छंबादरन,
   डाकखाना भरोड़ी, तहसील हमीरपुर,
   जिला कांगड़ा,
   हिमाचल प्रदेश।

13 अक्तूबर 1969 को, कांगड़ा जिले के गवर्नमेंट हाई स्कूल, भरोड़ी की नवीं कक्षा की छात्रा कुमारी सुमित्रा देवी, स्कूल के समय में स्कूल के अहाते में स्थित कुएं पर पानी पीने के लिए गई। पानी पीते समय उसे दौरा पड़ा और वह सब ओर से खुले कुएं में गिर पड़ी। 11वीं कक्षा के छात्र श्री कुलदीप सिंह ने यह जानते हुए भी कि दौरे के रोगी को निकाल लाने का कार्य ख़तरे से खाली नहीं कुएं में डुबकी लगाई। लगातार तीन बार प्रयत्न करने के बाद वह वह लड़की का जीवन बचाने में सफल हो गये।

3. श्री विनोद कुमार वर्मा,
   18/1, लोधीपुरा,
   इन्दौर,
   मध्य प्रदेश।

4. श्री कोदी राम,
   13, शिवाजी नगर,
   इन्दौर,
   मध्य प्रदेश।

21 दिसम्बर, 1969 को इन्दौर नगर के समीप पीपल्यपाल तालाब पर सैर के लिए लगभग 24 व्यक्ति एक मोटर बोट में बैठे। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। कोई दो फर्लांग जाने के बाद नाव उलट गई और सब के सब व्यक्ति 8 से 10 फुट गहरे पानी में जा गिरे। श्रीमती जैनाबाई, श्रीमती सुशीलाबाई और श्री विट्ठल-राव जैसे तैसे उलटी नाव से लटके हुए तैरते रहे। तालाब में दलदल थी और घास से भरा हुआ था जिसके कारण किसी के लिए भी पानी में घुसना गंभीर रूप से खतरनाक था। अपनी सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए श्री विनोद कुमार वर्मा सर्वश्री संतोष कुमार, नारायण राव और नरेश मांडलोई के साथ उस स्थान तक तैर कर गये और श्रीमती जैनाबाई, श्रीमती सुशीलाबाई और श्री विट्ठलराव को किनारे पर ले आये। वे गहरे पानी में से बेहोशी की दशा में दो अन्य महिलाओं और दो बच्चों को भी निकाल लाये। लगभग 350 गज से 400 गज तक तैरने के बाद श्री कोदी राम ने गहरे पानी में से एक बेहोश लड़के को बाहर निकाला और किनारे पर ले आये।

5. श्री मोहन प्यारे लालचन्द,
   मकान सं० 371, रविवार पेठ,
   नासिक,
   महाराष्ट्र।

8 और 9 सितम्बर, 1969 को नासिक में गोदावरी नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आई जिसके कारण नदी के किनारे के अनेक घरों में या तो पानी भर गया या वे पानी में डूब गए। ऐसी ही इमारतों में दो मंजिली सिंधी धर्मशाला की इमारत भी थी जिसका भूमि-तल पूर्णतया पानी में डूब गया था। इमारत की पहली मंजिल में 12 व्यक्तियों ने इस आशा से शरण ले रखी थी कि बाढ़ का पानी शीघ्र घट जायेगा। परन्तु नदी के बढ़ते हुए स्तर से इन सभी व्यक्तियों के जीवन को तत्काल गंभीर खतरा पैदा हो गया था। धारा के तेज वेग के कारण इन व्यक्तियों को बचाने के लिए जाने का कोई साहस नहीं कर सका। अपने जीवन के लिए भयंकर ख़तरे की स्थिति होते हुए श्री मोहन प्यारे लालचन्द नदी में कूद पड़े, और तैर कर वहां गये और केवल एक ट्यूब और रस्सी के सहारे सभी 12 व्यक्तियों का जीवन बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आये।

6. लेफ्टिनेन्ट नजमल शाह सैयद,
आई० एन० एस० हमला,
मर्वे मलाद,
बम्बई-64 ।
महाराष्ट्र ।

7. श्री हाकिन्सन फर्नेंड्स,
आई० एन० एस० हमला,
द्वारा लेफ्टिनेंट कमोडोर बी० फर्नेंड्स,
मर्वे मलाद,
बंबई-64,
महाराष्ट्र ।

8. श्री कालूराम,
द्वारा कमांडिंग अधिकारी, आई० एन० एस० हमला,
मर्वे मलाद,
बंबई-64,
महाराष्ट्र ।

9. श्री छबी लाल साहू,
द्वारा कमांडिंग अधिकारी, आई० एन० एस० हमला,
मर्वे मलाद,
बंबई-64,
महाराष्ट्र ।

27 अप्रैल, 1970 को दिन के 12 बज कर 45 मिनट पर कम्बाटा एविएशन कम्पनी का एक हैलीकोप्टर ध्वस्त हो कर हमला बीच के सागर में गिर पड़ा । उस समय समुद्र में ज्वार आने वाला था और तेज हवा चल रही थी । शीघ्र ही दो व्यक्ति कुमारी डुलस और श्री मोदी तट से लगभग 150 गज दूर और एक दूसरे से 60 गज के अन्तर पर समुद्र में बहते दिखाई दिये । वे सहायता के लिए चिल्ला रहे थे । सहायक दल बनाने के लिए स्वयंसेवक बुलाये गये और लेफ्टिनेन्ट नजमल शाह सैयद, सर्वश्री हाकिन्सन फर्नेंड्स कालू राम और छबी लाल साहू तुरन्त आगे बढ़े और समुद्र तट की ओर झपटे । लेफ्टिनेन्ट सैयद जो इस बचाव कार्य के नेता थे तथा श्री फर्नेंड्स यात्रियों में से एक की ओर तैर कर गए और कुमारी डुलस को बचा कर किनारे पर ले आए । सर्वश्री कालूराम और छबी लाल साहू दूसरे यात्री की ओर तैर कर गए और श्री मोदी को बचाया ।

इन चारों व्यक्तियों ने खराब मौसम एवं अपनी जान की सुरक्षा की जरा भी परवाह न कर कुमारी डुलस तथा श्री मोदी को बचाने में अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया ।

10. श्री बन्दी वेंकटरेड्डी,
कोत्तपल्ली कौरुगुटा ग्राम,
कोबुर तालुक, जिला नैलोर,
आन्ध्र प्रदेश । **(मरणोपरांत)**

23 अप्रैल, 1970 को नैलोर जिले के कांबुर तालुक में ग्राम कोत्तपल्ली के श्री एन० नरसिआह के मकान में आग लग गई । एक समाज सेवक श्री बंदी वेंकटरेड्डी अपने प्राणों के लिए भारी खतरा उठाकर मकान की दीवार पर चढ़ गए और आग बुझाने का प्रयत्न किया । जब वह अकेले आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे तब वह फिसल कर अधजले मकान में गिर पड़े । उनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं गया और बाद में वह स्वयं उठे और उन्होंने अपने हाथ फैलाए । वहां एकत्रित लोगों ने उन्हें ऊपर उठा कर बाहर निकाला और अस्पताल में भरती कराया जहां 29-4-1970 को उनकी मृत्यु हो गई । वह आग को अन्य मकानों तक फैलने से रोकने की इच्छा से प्रेरित हुए थे । मानवीयता के इस कार्य में श्री बन्दी वेंकटरेड्डी ने अपने जीवन के लिए भारी खतरे की परवाह न करते हुए अनुकरणीय साहस तथा सेवा भाव का परिचय दिया ।

11. श्री बोम्मिदी राममूर्ति,
कौबुर, जिला पश्चिम गोदावरी,
आन्ध्र प्रदेश ।

30 अगस्त, 1970 को गोदावरी नदी में गोपदलरेवु के निकट एक मंदिर में "लक्षपत्री पूजा" के लिए 11 व्यक्तियों तथा पूजा की सामग्री ले जाते हुए एक नाव बाढ़ के पानी के बहाव के कारण अचानक उलट गई । नाव के यात्री जल की तेज़ धारा में जा पड़े । 40 वर्षीय श्री बोम्मिदी राममूर्ति ने जो दुर्घटना-ग्रस्त नौका को चला रहे थे, सभी विपरीत परिस्थितियों में साहस, प्रत्युत्पन्नमति तथा निश्चय के साथ नदी की उमड़ती घुमड़ती धार का सामना किया और अपने जीवन के लिए उत्पन्न खतरे की परवाह न करते हुए उनकी ओर तैर कर गये और शारीरिक रूप से पूरी तौर पर थक जाने और शक्ति का ह्रास हो चुकने पर भी उन्होंने तीन व्यक्तियों के प्राण बचाये और उन्हें सुरक्षित निकाल लाये ।

अपने प्राणों के लिए गंभीर खतरा होते हुए भी श्री बोम्मिदी मूर्ति ने उत्कृष्ट साहस तथा सेवा-भाव का परिचय दिया ।

12. श्री गणपा इरा हसालर,
ग्राम केसरगड्डे,
जिला उत्तर कनारा,
मैसूर ।

1 मई, 1970 को उत्तर कनारा जिले के ग्राम केसरगड्डे के निवासी श्री दयावा राम, उनके भाई श्री मेल्या राम नायक और उनका सेवक श्री गणपा इरा हसालर अपने खेतों से घर लौट रहे थे । श्री दयावा राम नायक अन्य दोनों व्यक्तियों से थोड़े आगे थे । अचानक एक चीता झाड़ी में से निकल कर श्री दयावा राम नायक पर झपटा वह तुरंत एक कदम पीछे हटे और उन्होंने चीते के मुंह पर दरांती मारी जो उनके पास थी । क्रोधित चीते ने उन पर भयंकर आक्रमण किया । उनके सेवक श्री गणपा इरा हसालर जो पीछे से आ रहे थे अपने जीवन के लिए खतरे की परवाह न करते हुए साहसपूर्वक अपने स्वामी की सहायता के लिए बढ़े और उन्होंने अपनी कुलहाड़ी से चीते की पीठ पर वार किया । इस चोट ने चीते की कमर तोड़ दी । वह उसी स्थान पर गिर कर मर गया । श्री गणपा इरा हसालर द्वारा अपने प्राणों के लिए गंभीर खतरा उठा कर किये गए वीरता एवं साहस के कृत्य के फलस्वरूप श्री दयावा राम नायक की जान बच गई ।

सं० 72-प्रेज/71—निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन को गंभीर संकटपूर्ण परिस्थितियों में डाल कर जीवन रक्षा कार्य में साहस और तत्परता का परिचय दिए जाने के लिए, राष्ट्रपति उन्हें जीवन रक्षा पदक प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं :—

1. श्री संतोष कुमार,
85, इतवारी बाज़ार,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश ।

2. श्री नारायण राव,
यशवन्त रोड,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश ।

3. श्री निरेश मांडलोई.
4, राजजी बाजार,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश ।

4. श्री उदय सिंह,
मृत्यानन्द नगर,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश ।

21 दिसम्बर, 1969 को लगभग 24 व्यक्ति, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित थे, इन्दौर नगर के समीप पीपल्यपाल तालाब में नौका विहार के लिए एक मोटर-बोट में सवार हुए । लगभग दो फर्लांग दूर जाने के बाद, ताल के बीच नाव उलट गई, और सारे व्यक्ति 8–10 फुट गहरे ताल के पानी में गिर पड़े । श्रीमती जैनाबाई, श्रीमती सुशीलाबाई और श्री विट्ठलराव उलटी हुई नाव के सहारे जैसे-तैसे पानी में तैरते रहे । ताल में दलदल थी और काई भरी हुई थी, और पानी में घुसना किसी के लिए भी भारी खतरे से खाली न था । सर्वश्री संतोष कुमार, नारायणराव और नरेश मांडलोई ने, अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए एक अन्य नाव की सहायता से श्रीमती जनाबाई, श्रीमती सुशीलाबाई, और श्री विट्ठलराव को किनारे पर लाने में श्री विनोद कुमार वर्मा की सहायता की, और इस प्रकार उनका जीवन बचा लिया । उन्होंने दो स्त्रियां और दो बच्चे भी गहरे पानी से बाहर निकाले जो बेहोशी की हालत में थे ।

मोटर-बोट का चालक, श्री रणजीत यद्यपि तैरना नहीं जानता था, परन्तु वह जैसे-तैसे पानी के ऊपर ही हाथ पैर मार रहा था । श्री उदय सिंह घटना-स्थल पर पहुंचे, और श्री रणजीत को पकड़कर एक टीले तक पहुंचाया, जहां कोई खतरा नहीं था । इस प्रकार श्री उदय सिंह ने मोटर-बोट के चालक का जीवन बचा लिया ।

5. श्री गेंदा लाल,
ग्राम पीतामली, तहसील महेश्वर,
जिला पश्चिम निमाड़, खारगांव,
मध्य प्रदेश ।

5 मार्च, 1970 को ग्राम पीतामली में दो डोंगियां नर्मदा नदी को पार कर रही थीं, जब कि अचानक एक डोंगी में पानी भरने लगा । उस डोंगी के यात्री दूसरी डोंगी पर चढ़ने लगे, जो साथ-साथ चल रही थी । इसके परिणाम-स्वरूप दूसरी डोंगी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों डोंगियां डूबने लगीं । यात्रियों की चीख पुकार सुन कर श्री गेंदा लाल तुरन्त दौड़े, नदी के किनारे लगे एक नाव पकड़ और अपने जीवन की परवाह न करते हुए, डूबते हुए यात्रियों को बचाने के लिए तेजी से चल पड़े । उनके दृढ़संकल्प एवं साहसपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप दस व्यक्तियों का जीवन बच गया ।

6. श्री रघु सखाराम जाम्बले,
डाकघर बरदापुर, तालुक अम्बा जोगई,
जिला भीर,
महाराष्ट्र ।

14 अप्रैल, 1969 को ग्राम बरदापुर, तालुक अम्बा जोगई में श्री मुंजाजी जाम्बले की पुत्री पुष्पावती गुड़ की भट्टी में गिर पड़ी । यह देखते ही श्री रघु सखाराम जाम्बले उस भट्टी की आग में तत्काल कूद पड़े और उस लड़की को बाहर निकाल कर उसे बचा लिया । निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए, श्री रघु सखाराम जाम्बले ने उस लड़की का जीवन बचाने में असाधारण सहस का परिचय दिया ।

7. मास्टर दिलीप गुलाबराव जादव,
ग्राम लाख, तालुक रहूरी,
जिला अहमदनगर,
महाराष्ट्र ।

18 मई, 1969 को, बालासाहब नामक चार वर्ष की आयु का एक बालक भटक कर प्रवार नदी के किनारे की ओर जा निकला । मास्टर दिलीप गुलाबराय जादव नामक एक विद्यार्थी ने, जो पानी लाने के लिए उस समय नदी पर गया था, कुछ छोटे बच्चों की चीख पुकार सुनी, और देखा कि एक बालक नदी में गिर गया है, और वह डूबने ही वाला है । तत्काल वह उस ओर दौड़े और नदी में कूद कर उस डूबते हुए बालक की ओर लगभग 140 फुट तैर कर गये, और किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना उस बालक को जीवित किनारे तक ले आये । इस प्रकार उस बालक को बचाने में मास्टर दिलीप गुलाबराय जादव ने अपने जीवन को खतरे में डाला और उदाहरणीय साहस और सूझ-बूझ का परिचय दिया ।

8. श्री पुरुषोत्तमदास छगनलाल अग्रवाल,
गोंडिया,
जिला भंडारा,
महाराष्ट्र ।

5 नवम्बर 1969 को श्री पुरुषोत्तमदास छगनलाल अग्रवाल बांस के पौधों के वनस्पति सर्वेक्षण के लिए अपने मित्रों के साथ सालेक्सा वन में गये थे । उसने एक साथी, श्री शरद अग्रवाल को सांप ने डस लिया । श्री पुरुषोत्तमदास छगनलाल अग्रवाल ने तत्काल बड़े साहस के साथ सांप द्वारा डसे हुए अंग से विष चूस लिया और उस व्यक्ति को सालेक्सा रेलवे स्टेशन तक उठाकार ले गये, जहां कि अस्पताल में उसका उपचार किया गया और उसका जीवन बच गया । इस प्रकार श्री पुरुषोत्तमदास छगनलाल अग्रवाल ने अपने जीवन को खतरे में डाल कर श्री शरद अग्रवाल की जान बचा ली ।

9. श्री भोले राम,
ग्राम हीरापुर दयोही,
तहसील बिसालपुर,
जिला पीलीभीत,
उत्तर प्रदेश ।

भारी वर्षा के परिणामस्वरूप पीलीभीत जिले में सितम्बर 1969 में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई थी। तहसील बिसालपुर में ग्राम दयोही रामपुरा, अर्जुनपुरा और भूखी की जनता बाढ़ के पानी से घिर गई। 25 सितम्बर 1969 को एक मल्लाह व श्रमिक श्री भोले राम ने अपनी नाव द्वारा उन आपद्ग्रस्त व्यक्तियों को बचाकर निकालने का काम अपने हाथ में लिया। इस तथ्य के बावजूद कि बाढ़ जोर की है और पानी के तेज धारा में नाव चलाने में भारी खतरा है, श्री भोले राम ने लगभग एक सौ ऐसे व्यक्तियों को बचाने में सफलता प्राप्त की जो दो दिन से भूखे थे। आरपार जाते हुए इन चक्करों में एक बार उनकी नाव नियंत्रण से बाहर हो गई और महान साहस तथा कौशल के साथ श्री भोले राम इसे सुरक्षित स्थान पर लगा पाये जबकि बाढ़ का पानी उसे बहा कर ले चला था। इस काम में लगे हुए उन्हें लगभग 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। अपने जीवन को महान खतरे में डालकर श्री भोले राम ने लगभग 100 विपद्ग्रस्त व्यक्तियों के प्राण बचाने का संकटमय कार्य करने में अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया।

10. श्री रामदेवल पिल्ले,
सी० 1, सं० 84035,
इंडियन नेवल शिप, गरुड़,
नेवल बेस,
कोचीन-4,
केरल।

13 जुलाई 1970 को श्री वी० एम० कन्नाप्पन, बुकिंग क्लर्क, दक्षिणी रेलवे, कोचीन, अपने परिवार सहित एर्नाकुलम से विल्लिडन आइलैंड को लौट रहे थे। रात के लगभग 8 बजे जब वे पैरूमनुर जैट्टी में नाव पर चढ़ रहे थे, उनकी 9 वर्ष की लड़की कुमारी श्रीदेवी का पैर फिसल गया और वह एर्नाकुलम खाड़ी में गिर पड़ी, जो तेज ज्वार भाटों और पानी के नीचे की तह में तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। श्री रामदेवल पिल्ले, जो कि वहां पास ही खड़े थे, अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए तत्काल पानी में कूद पड़े और उन्होंने उस लड़की को बचा लिया।

11. श्री सुधीर कुमार कठपालिया,
33/13, शक्ति नगर,
दिल्ली-7।

चण्डीगढ़ के संबंध में सरकार के निर्णय के फलस्वरूप 30 जनवरी 1970 को सोनीपत में स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और यह बताया गया कि एक कालेज के कुछ विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने रेलवे स्टेशन पर सरकारी संपत्ति जला दी। श्री सुधीर कुमार कठपालिया, जो उस समय अपने कालेज के होस्टिल में थे, उस घटनास्थल पर पहुंचे और इस बात की परवाह न करते हुए कि आग लगाने वाले लोग उनसे नाराज हो जायेंगे तथा उसने बदला भी ले सकते हैं, वे पांच घंटे तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। प्रारम्भ में वे स्वयं आग बुझाते रहे और बाद में अग्नि-शमन-दल के वहां पहुंचने पर उन्होंने दल की सहायता की। आग बुझाने का प्रयत्न करते समय उनके कपड़े भी खो गये और वे कई जगह से जल गए।

श्री सुधीर कुमार कठपालिया ने आग बुझाने में सराहनीय कार्य किया।

12. श्री कोट्टाराथिल कृष्णन् नायर राघवन्,
कोट्टाराथिल हाउस, मुडियूरकरा,
पेरुम्बैकड, ग्राम व डाकखाना अपूर्कर,
जिला कोट्टायम,
केरल।

18 अप्रैल, 1970 को दिन के लगभग 11-30 बजे 12 से 15 वर्ष की आयु की 8 छात्राएं एक नौका में मीनाचिल नदी की एक सहायक नदी पार कर रहीं थीं। जब नाव मंझधार में पहुंची तो वह उलट गई और सभी लड़कियां गहरे पानी में गिर गई। उस जगह नदी लगभग 50 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी थी। श्री कोट्टाराथिल कृष्णन् नायर राघवन् उस समय वहां स्नान करने आये थे। यह देखकर कि वे लड़कियां पानी में हाथ-पैर मार रहीं हैं, वे उन्हें बचाने के लिए तत्काल नदी में कूद पड़े, और एक एक करके उन सभी को बाहर निकाल लाये। उनमें से दो लड़कियों की हालत बहुत गंभीर होने के कारण श्री राघवन् स्वयं उन्हें कोट्टायम के मेडिकल कालेज अस्पताल में ले गये परन्तु रास्ते में उन दोनों लड़कियों की मृत्यु हो गई। ठीक समय पर कार्यवाही करके श्री कोट्टाराथिल कृष्णन् नायर राघवन् ने 6 लड़कियों की जान बचाई और ऐसा करते हुए उन्होंने साहस का परिचय दिया।

13. श्री वेंकटरामन घुट्टप्पा हरिकान्त्र,
ग्राम हेलकर, तालुक कुम्टा,
जिला धारवाड़,
मैसूर।

उत्तरी कनारा के कुम्टा तालुक के चिलिगि ग्राम की लगभग 16 वर्षीय कुमारी गिरिजा रमा लक्कुमने और उसका 14 वर्षीय छोटा भाई मास्टर विद्याधर पानी भरने के लिए कुएं पर गये थे। जब वे कुएं से पानी निकाल रहे थे तो लकड़ी का अर्गला टूट गया और वे दोनों कुएं में गिर पड़े। वहां से गुजरती हुई एक महिला ने हल्ला मचाया। उसका हल्ला सुनकर बहुत से लोग कुएं के चारों तरफ जमा हो गये, तुरन्त उनमें से किसी ने भी उन बच्चों को बचाने की कोशिश न की क्योंकि उस समय कुआं पानी से भरा हुआ था। श्री वेंकटरामन घुट्टप्पा हरिकान्त्र, जो वहां से गुजर रहे थे, तुरन्त कुएं में कूद पड़े और उन्होंने दोनों बच्चों को डूबने से बचा लिया। ऐसा करने में उन्होंने अपने जीवन के लिए खतरे की परवाह न करते हुए वीरतापूर्ण कार्य किया।

पे० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1971

सं० 3(17)-टैक्स (डी०)/68—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर श्री एस० गुहा ने पटसन आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता में श्री बी० एन० बसु के स्थान पर, जो उसी कार्यालय में सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिए गए, 16 सितम्बर 1971 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक (पटसन विनिर्माण) के पद का कार्यभार संभाला।

पटसन आयुक्त, कलकत्ता के कार्यालय में श्री डी० के० दत्ता, स्थानापन्न सहायक निदेशक (तकनीकी) को 16 सितम्बर 1971 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में निरीक्षक (ग्रेड I) (तकनीकी) के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया।

सं० 3(16)-टैक्स (डी०)/70—राष्ट्रपति, श्री के० पी० नारायण को पटसन आयुक्त के कार्यालय में कार्यकारी अधिकारी के पद पर 1 अक्तूबर, 1971 से तीन महीने की और अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक के लिए, जब तक यह पद नियमित रूप से न भरा जाए, जो भी पहले हो, स्थानापन्न रूप में काम करते रहने की अनुमति देते हैं।

बलदेव कुमार, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 1971

संकल्प

सं० 5-8(28)/69-नीति—14 और 15 अक्तूबर, 1971 को जयपुर में हुई केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की सातवीं बैठक की सिफारिश के अनुसरण में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां के बजाय दूसरे स्थानों पर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों को खोलने के बारे में कतिपय राज्य सरकारों के प्रस्ताव की जांच करेगी तथा उन पर अपनी सिफारिश देगी।

2. इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सचिव	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव, परिवार नियोजन विभाग	सदस्य
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
आयुक्त, परिवार नियोजन	सदस्य
वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
योजना आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
स्वास्थ्य सचिव, पंजाब	सदस्य
स्वास्थ्य सचिव, बिहार	सदस्य
स्वास्थ्य सचिव, तमिलनाडु	सदस्य
स्वास्थ्य सचिव, महाराष्ट्र	सदस्य
स्वास्थ्य सचिव, गुजरात	सदस्य
स्वास्थ्य सचिव, उड़ीसा	सदस्य
उप-सचिव (नीति) परिवार नियोजन विभाग	संजोजक

3. समिति के विचाराधीन विषय इस प्रकार होंगे :—

1. इस बात पर विचार करना और सलाह देना कि राज्य सरकारों को ग्राम क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिये उचित मामलों में परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों को मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए अथवा नहीं तथा किन हालतों में उन्हें इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

2. इस बात पर विचार करना और सिफारिश करना कि जिन विकास खण्डों में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किये गए हैं, वहां ग्राम परिवार नियोजन केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिये जाएं अथवा नहीं और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में।

3. समिति को अपनी रिपोर्ट जनवरी 1972 के अन्त तक भेज देनी चाहिए।

आदेश

आदेश है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

दिनांक 26 नवम्बर 1971

संकल्प

सं० एफ० 11016-58/71-एम० इ० ए० (प० नि०)—"परिवार नियोजन शिक्षा समन्वय समिति के पुनर्गठन के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के संकल्प सं० 11-36/68-एम० ई० एम० (प० नि०) दिनांक 12 मई 1971 में मद संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित मद रख ली जाए :—

"10 संयुक्त सचिव, समान्य शिक्षा कार्यालय, शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय—सदस्य"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

रावीन्द्र नाथ मधोक, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1971

सं० 10-2/71-फेट—कृषि मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 16-72/47-नीति, दिनांक 8 नवम्बर 1948 के अन्तर्गत गठित की गई तथा संकल्प सं० 10-1/65-फेट, दिनांक 9 सितम्बर 1966 के अन्तर्गत पुनर्गठित की गई और जैसा कि उसमें अब तक संशोधन किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन सम्पर्क समिति में रूलर पीपुल्स इन्टीरस्टस, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री और फारमर्स फोरम का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान सदस्यों की अवधि समाप्त होने पर, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने लिखी हुई तीन वर्ष की अवधि के लिये रूरल पीपुल्स इन्टीरस्टस, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा फारमर्स फोरम के प्रतिनिधि के रूप में इस समिति में कार्य करने के लिए नामजद किया जाता है :—

1.	श्री शारद पवार, सदस्य विधान सभा, बाड़ामती, जिला पूना, (महाराष्ट्र)।	1-7-71 से रूरल पीपुल्स इन्टीरस्टस के प्रतिनिधि
2.	श्री माधव सिन्ह सोलंकी, सदस्य विधान सभा, स्वास्तिक सोसाइटी 'बी', अहमदाबाद-9, (गुजरात)।	,,
3.	श्री ब्रज मोहन मोहंती, सदस्य विधान सभा, एडवोकेट, पुरी (उड़ीसा)।	,,
4.	श्री आयी गौन्दर, कृषक, कासी पलायम डाकखाना, गोपीचैतीपलायम, कोयम्बत्तूर (तमिलनाडु)।	,,
5.	श्री राज नारायण मिश्र, एडवोकेट, पटेल नगर, ओरई, जिला जालोन, (उत्तर प्रदेश)।	,,
6.	श्री वी० एस० अग्रवाल, सर्वश्री बशेशरदयाल शान्तिस्वरूप 29-ए०, बनस्तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता-7, (पश्चिमी बंगाल)।	1-9-71 से फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ आमर्स एण्ड इन्डस्ट्री के प्रतिनिधि।
7.	डा० डी० ए० भोले, मंत्री, भारत कृषक समाज, (फारमर्स फोरम, भारत) ए०-1, निजामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली-13।	1-10-71 से फारमर्स फोरम, भारत के प्रतिनिधि।

कमला प्रसाद, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1971

संकल्प

सं० 21-2/71-पशुधन विकास-1—मौलाना इशाक साम्भली सदस्य, लोक सभा को दिल्ली दुग्ध योजना की शासी निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो इस विभाग के संकल्प सं० 19-134/67-डेरी विकास/पशुधन विकास-1, दिनांक 14-10-1968 के अन्तर्गत पुनर्गठित की गई थी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति दिल्ली प्रशासन, भारत सरकार के सब मन्त्रालय/विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक, महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, वाणिज्यिक लेखा के मुख्य नियंत्रक, भारतीय कृषिक अनुसंधान परिषद्, महा-निदेशक स्वास्थ्य सेवा, महापौर, दिल्ली नगर निगम, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका, अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की जान-कारी के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

वी० पी० गुलाटी, उप-सचिव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1971

सं० 34(II)/71-सी० डी० एन०-I—कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 (1940 के अधिनियम सं० XXVII) की धारा 7(1) के उपबंधों के अधीन, जिनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियम 2(I) के साथ पढ़ा जाए, भारत सरकार श्री जी० के० भनोत के स्थानान्तरण के कारण उन के स्थान पर श्री एस० के० घोष, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (स्वास्थ्य एवं कृषि प्रभाग) को सोसाइटी का वित्तीय सलाहकार और इस कारण स्थायी वित्त समिति के नियम 2(III) के अधीन परिषद् की स्थायी वित्त समिति का सदस्य सहर्ष मनोनीत करती है।

एम० एल० राय, उप-सचिव

विज्ञान व प्रायोगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1971

सं० 18(1) प्रशासन/71-वि० व० प्रा० वि०—राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (1956 के कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी) के संघ नियम (आर्टिल्स आफ एसोशियेशन) के अनुच्छेद 89 का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति 15 सितम्बर 1971 से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नांकित को निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एम० एस० पाठक,
   सदस्य, योजना आयोग,
   योजना भवन,
   नई दिल्ली-1।
2. डा० सी० अम्बाशंकरन,
   प्रमुख, तकनीकी भौतिकी प्रभाग,
   प्रमाणु ऊर्जा आयोग,
   ट्राम्बे, बम्बई-85।
3. प्रो० पी० के० केलकर,
   निदेशक,
   भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान,
   पोवाय, बम्बई-76-एन० बी०।
4. श्री ए० जे० किदवाई,
   अपर सचिव,
   विज्ञान और प्राद्योगिकी विभाग,
   योजना भवन
   नई दिल्ली-1।
5. श्री वी० कृष्णामूर्ति,
   महा प्रबन्धक,
   मैसर्स भारत हैवी ऐलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
   त्रिचिरापल्लि-14।
6. श्री एस० कुमार,
   सलाहकार,
   पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय,
   शास्त्री भवन,
   नई दिल्ली-1।
7. डा० वी० डी० नागचौधरी,
   रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार,
   साउथ ब्लाक,
   नई दिल्ली-11।
8. डा० वाई० नायुडम्मा,
   महानिदेशक,
   भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्,
   रफी मार्ग,
   नई दिल्ली-1
9. डा० प्राण लाल पटेल,
   प्रबन्ध तथा तकनीकी निदेशक,
   मैल्लेबल आइरन और स्टील कास्टिंग कम्पनी (पी०) लिमिटेड,
   23-बी०, जुहूतारा रोड,
   बम्बई-34।
10. श्री के० बी० राय,
    महानिदेशक,
    तकनीकी विकास,
    उद्योग भवन,
    नई दिल्ली-11।
11. डा० टी० के० राय,
    प्रबन्ध निदेशक,
    कैमिकल और मेटालुरजीकल डिजाइन कम्पनी (पी०) लिमिटेड,
    ए०-60, कैलाश,
    नई दिल्ली-48 और
12. डा० सी० वी० एस० रतनम,
    प्रबन्ध निदेशक,
    भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम,
    61, रिंग रोड, लाजपत नगर-3,
    नई दिल्ली-24। (प्रबन्ध निदेशक)

संघ नियम (आर्टिकल्स आफ एसोशियेशन) के अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति श्री एम० एस० पाठक को निगम के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

ए० जे० किदवाई, अपर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th November 1971

No. 70-Pres./71.—The President is pleased to approve the award of SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons for conspicuous courage under circumstances of very great danger to their own lives :—

1. Shri Satish Jumani,
   C/o Major N. K. Jumani,
   H. R. Barracks, 37/6, Happy Valley,
   Jabalpur Cantt.,
   Madhya Pradesh.

On 23rd February, 1971, sixteen students had gone for an outing at Jamtara, 6 miles away from Jabalpur on the river Gohur. After lunch, some of them went to the river for swimming. Shri Satish Jumani, who knew swimming, went across the river and lay basking in the sun. Another student Shri Deepak Dutta, after swimming near the shore, was exhausted and tried to rest on one of the rocks in the river bed but did not succeed and found himself in deep water and called for help. Shri Rajiv Sareen who was swimming close tried to pull out Shri Deepak but was himself dragged down and both went under water. Shri Inder Pal Kohli rushed to their rescue. Shri Rajiv gripped the long hair of Shri Kohli and all the three were soon struggling under water. Shri Kohli managed to free himself and was able to pull out Shri Rajiv but Shri Deepak went down to the bottom where the river was about 12 feet deep. On hearing the shouts of other students, Shri Satish Jumani immediately swam across and dived into the river to find Shri Deepak lying face downwards in the river bed and drifting into deeper water. Shri Jumani first stopped Shri Deepak from drifting further. Then he went still lower and placing his own head below Shri Deepak's stomach, gave an upward thrust which brought both them half-way under water. One more push brought them to the surface and finally Shri Jumani succeeded in bringing Shri Deepak to the shore. The heroic deed performed by Shri Satish Jumani saved Shri Deepak's life.

2. Shri Barkatally Nazarally Virani,
Room No. 10, Baitul Habib Building,
2nd Naoroji Hill Road,
Bombay-29,
Maharashtra. *(Posthumous)*

On 23rd September, 1969, a building known as Sagra Manzil in Bombay started crumbling and some children were buried under the debris. On hearing the pitiful screams of children, Shri Barkatally Nazarally Virani rushed to their help regardless of the risk involved in entering the building which was still crumbling. Unfortunately he too was buried under the debris. His exceptional valour cost him his own life. He displayed an extraordinary spirit of humanism and sense of duty in rushing to help the victims regardless of al lconsequences to himself.

3. Shri Bhalchandra Chimanrao Dighe,
Janana Bungalow, Rambaug Lane,
4, Kalyan Taluk, Dist. Thana,
Maharashtra.

On 4th August, 1970, a boy and a girl were going to School on foot through the railway track. They were inattentive and unaware of the train speeding towards them. On seeing them, the driver of the train gave a long whistle to attract their attention but they did not leave the track. Shri Bhalchandra Chimanrao Dighe, a civil engineer, who was near the railway crossing saw the danger to these children and at once jumped to save them. He pulled away the boy from the track and then pushed the girl to the other side. He himself escaped being run over by the train but he and the girl received several bodily injuries. The girl latter succumbed to the injuries and Shri Dighe was confined to the hospital. Shri Bhalchandra Chimanrao Dighe showed exemplary courage in trying to save the two lives at very great risk to his own life.

4. Shri Mohd. Sayed Afsar Hossain,
77/B, Elliot Road,
Calcutta-16. *(Posthumous)*

On 30th January, 1970, Shri Mohd. Sayed Afsar Hossain, a student was returning home after burying his cousin sister when he saw a devasting fire in a tyre godown on Mcleod Street. He also noticed that a number of inmates of a house who were in danger of being burnt to death screaming for help. In utter disregard of the advice from several spectators not to risk his life, he climbed the drain pipe from behind to the second floor and rescued a number of inmates and their belongings. He received extensive burns on his person and was finally trapped in the burning building. Finding no other way to get out he jumped from the second floor. He died 18 hours later as a result of the burns and injuries caused by the fall. Shri Mohd. Sayed Afsar Hossain showed commendable courage and promptitude and his act of self-sacrifice to save others can be matched by very few.

No. 71-Pres./71.—The President is pleased to approve the award of UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons for courage and promptitude under circumstances of great danger to their own lives :—

1. Shri Narayan Dattatraya Sawant,
Deputy Engineer,
Mechanical Sub-Division,
Alore, District Ratnagiri,
Maharashtra.

On the midnight of 31st August, 1969 the Washisti river, Koynanagar, flowing near the Taii race tunnel works, rose rapidly in high floods and the river waters jumped suddenly into T.R.T. Exit end portion flooding the tunnel. Three workers on duty got trapped in the tunnel. There was the risk of the tunnel roof giving way or the rising water completely submerging the tunnel, drowning the three persons in the tunnel any moment. It was all pitch dark and rain was still pouring. Hearing the shouts of the trapped persons for help, Shri Narayan Dattatraya Sawant, made bold to enter the flooded tunnel by swimming across the waters at the tunnel mouth and successfully brought the trapped persons to safety. Shri Narayan Dattatraya Sawant had demonstrated exemplary courage and promptitude in the face of danger to his own life in saving the lives of three workers trapped in the flooded tunnel.

2. Shri Kuldip Singh,
Village Kot-Chhambadran,
P.O. Bharori,
Tehsil Hamirpur,
District Kangra,
Himachal Pradesh.

On 13th October, 1969, Kumari Samitra Devi a student of Class IX of Government High School, Bharori in Kangra District, went to the well situated in the school premises for drinking water during the school time. While drinking water she had an attack of fits and fell into the well which was open from all sides. Shri Kuldip Singh, a student of Class XI, dived into the well inspite of the danger involved in trying to save a person suffering from fits. After three consecutive attempts he succeeded in saving the life of the girl.

3. Shri Vinod Kumar Verma,
18/1, Lodhipura,
Indore,
Madhya Pradesh.

4. Shri Kodi Ram,
13, Shivaji Nagar,
Indore,
Madhya Pradesh.

About 24 persons including children boarded a motor boat on 21st December, 1969 for an excursion in Pipatyapala pond near Indore city. After going about two furlongs, the boat capsized and all the persons were thrown into 8 to 10 feet deep water. Shrimati Jenabai, Shrimati Susheelabai and Shri Vithalrao, somehow managed to keep themselves afloat by clinging to the upturned boat. The pond was swampy and full of weeds which posed serious risks to anyone entering the waters. Without caring for their personal safety, Shri Vinod Kumar Verma along with Sarvashri Santosh Kumar, Narayan Rao and Naresh Mandloi swam to the spot and brought Shrimati Jenabai, Shrimati Susheelabai and Shri Vithalrao to the bank. They also brought out of the deep water two other women and two children in unconscious condition. Shri Kodi Ram after swimming about 350 to 400 yards brought out of the deep water an unconscious boy and carried him to the bank.

5. Shri Mohan Pyare Lalchand,
House No. 371, Raviwar Peth,
Nasik,
Maharashtra.

There was an unprecedented flood in the Godavari river at Nasik on 8th and 9th September, 1969 and the flood water had either entered or submerged innumerable houses on the banks of the river. A double storeyed Sindhi Dharmasala building was one of the affected buildings with its ground floor completely under water. 12 persons had taken shelter in the first floor of the building hoping that the flood water would soon recede but the rising level of the river was posing serious and imminent threat to the loves of all these persons. Because of the fast current no body could venture to go to the rescue of these persons. Shri Mohan Pyare Lalchand, in the face of grave danger to his own life, jumped into the river, swam across and saved the lives of all the 12 persons by bringing them to safe places with the help of a tube and a rope only.

6. Lt. Najmal Shah Syed,
INS HAMLA,
Marve Malad,
Bombay-64,
Maharashtra.

7. Shri Hawkinson Fernandes,
INS HAMLA,
C/o Lt. Commander B. Fernandes,
Marve Malad,
Bombay-64,
Maharashtra.

8. Shri Kalu Ram,
C/o Commanding Officer,
INS HAMLA,
Marve Malad,
Bombay-64,
Maharashtra.

9. Shri Chhabi Lal Sahu,
C/o Commanding Officer,
INS HAMLA,
Marve Malad,
Bombay-64,
Maharashtra.

On 27th April, 1970 at about 1245 hours a Helicopter belonging to the Cambata Aviation Company, crashed into the sea off the HAMLA beach. At that time high tide was approaching and the wind was strong. Two persons, Miss Duluc and Shri Mody, were soon seen floating in the sea, about 150 yards off shore and about 60 yards apart. They were shouting for assistance. Volunteers to form a rescue party were called for and Lieutenant Najmul Shah Syed, Sarvashri Hawkinson Fernandes, Kalu Ram and Chhabi Lal Sahu immediately came forward and rushed to the beach for rescue operations. Lieutenant Syed who led the rescue operation and Shri Fernandes swam towards one of the passengers rescued Miss Duluc and brought her ashore. Sarvashri Kalu Ram and Chhabi Lal Sahu swam towards the other passenger and rescued Shri Mody.

These four persons have shown exemplary bravery in rescuing Miss Duluc and Shri Mody under adverse weather conditions and in complete disregard of their own safety.

10. Shri Bandi Venkatareddy,
Kothapalli Kourugunta Village,
Kovur Taluk,
District Nellore,
Andhra Pradesh. *(Posthumous)*

On the 23rd April, 1970, a fire broke out in the house of Shri N. Narsaiah at Kothapalli Kourugunta village of Kovur Taluk in Nellore District. Shri Bandi Venkatareddy, a social worker, rushed to the spot, scaled the wall of the house at great risk to his life and tried to put out the fire. While he was fighting the fire single handed, he suddenly slipped into the half-burnt house. Nobody went to his rescue immediately and later he himself got up and stretched out his hands. The persons assembled there lifted him out and admitted him to a hospital where he died on 29-4-1970. He was impelled by the desire to prevent the fire from spreading to the other houses. In this act of human nature, unmindful of the grave risk involved to his own life, Shri Bandi Venkatareddy showed exemplary courage and spirit of service.

11. Shri Bommidi Ramamurthy,
Kovur,
District West Godavari,
Andhra Pradesh.

On the 30th August, 1970, a country boat carrying 11 persons and puja material for performing 'Lakshpatri Puja' in a temple, suddenly capsized in Godavari river near Gopadalaravu on account of the onslaught of the flood waters. The occupants were thrown into the rushing waters. Shri Bommidi Ramamurthy, aged 40 years who handled the ill-fated boat, with courage, presence of mind and determination against all odds, faced the surging and swirling currents of the river and unmindful of the risk to his own life, swam to them and despite physical exhaustion and failing strength, saved the lives of three persons and brought them to safety.

Shri Bommidi Ramamurthy exhibited conspicuous courage and spirit of service at grave personal risk to his own life.

12. Shri Ganapa Ira Hasalar,
Village Kesargadde,
District North Kanara,
Mysore.

On 1st May, 1970, Shri Dyava Rama Naik, a resident of Kesargadde village of North Kanara District, his brother Shri Mailya Rama Naik and his servant Shri Ganapa Ira Haslar were returning home from their fields. Shri Dyava Rama Naik was proceeding slightly ahead of the other two. All of a sudden a panther rushed from a bush and sprang on Shri Dyava Rama Naik. Immediately he took a step back and hit the panther on its face with a sickle which he was carrying. The enraged panther attacked him ferociously. His servant Shri Ganapa Ira Hasalar who was coming from behind, courageously rushed to the rescue of his master unmindful of the danger to his own life and hit the panther on its back with his axe. This blow broke the back of the panther. It collapsed and died on the spot. Shri Dyava Rama Naik's life was saved by the brave and courageous act of Shri Ganapa Ira Hasalar performed at grave risk to his own life.

No. 72-Pres./71.—The President is pleased to approve the award of JEEVAN PAKSHA PADAK to the undermentioned persons for courage and promptitude in saving the life at the risk of grave bodily injury to themselves :—

1. Shri Santosh Kumar,
85, Ivari Bazar,
Indore,
Madhya Pradesh.

2. Shri Narayan Rao,
Yaswant Road,
Indore,
Madhya Pradesh.

3. Shri Naresh Mandloi,
4, Raoji Bazar,
Indore,
Madhya Pradesh.

4. Shri Uday Singh,
Mrityu Nanda Nagar,
Indore,
Madhya Pradesh.

About 24 persons including children boarded a motor boat on 21st December, 1969, for boating in Pipatyapala pond near Indore city. After going about two furlongs, the boat overturned in the middle of the pond and all the persons were thrown into the water which was about 8 to 10 feet deep. Shrimati Jenabai, Shrimati Susheelabai and Shri Vithalrao, somehow managed to keep themselves afloat with the help of the upturned boat. The pond was swampy and full of weeds and posed serious risks to anyone entering the waters. Without caring for their personal safety, Sarvashri Santosh Kumar, Narayan Rao and Naresh Mandloi assisted Shri Vinod Kumar Verma in bringing Shrimati Jenabai, Susheelabai and Shri Vithalrao to the bank with the help of another boat and thus saved their lives. They also brought out of the deep water two women and two children to the bank in unconscious condition.

Shri Ranjit, driver of the motor boat, although he did not know swimming, managed to remain afloat. Shri Uday Singh reached the spot of the incident, caught hold of the driver and brought him to a mound where there was no danger. In this way, Shri Uday Singh saved the life of the driver.

5. Shri Genda Lal,
Village Pitamali,
Tehsil Maheswar,
District West Nimad, Khargon,
Madhya Pradesh.

On 5th March, 1970, two dongis (small boats) were crossing the river Narmada in village Pitamali when the water started entering one of the dongis all of a sudden. The passengers of the ill-fated dongi tried to take shelter in the other dongi which was going side by side. As a result, the balance of the other dongi was lost and both the dongis began to sink. Shri Genda Lal, hearing the hue and cry raised by the passengers, immediately ran, took a boat lying on the river bank and rushed to save the drowning persons without caring for his own life. Ten lives were saved by his courageous and determined action.

6. Shri Raghu Sakharam Jamble,
Post Bardapur, Taluk Ambajogai,
District Bhir,
Maharashtra.

On 14th April, 1969, Pushpawati daughter of Shri Munjaji Jamble at village Bardapur, Taluk Ambajogai, fell in the fire *chulla* of "Gurhal". On seeing this, Shri Raghu Sakharam Jamble instantaneously jumped into the fire of that *chulla* and pulled out the girl and saved her life. In utter disregard of his own safety he showed extraordinary courage in saving the life of the girl.

7. Master Dilip Gulabrao Jadhav,
Village Lakh, Taluk Rahuri,
District Ahmednagar,
Maharashtra.

On 18th May, 1969, Balasaheb, a 4 years old boy strayed towards the bank of Pravara river and abruptly fell into the river. Master Dilip Gulabrao Jadhav, a student, who happened to go to the river to fetch water, heard cries of some small boys and noticed that a boy had fallen in the river and was about to be drowned. He immediately ran in that direction, jumped into the water, swam a distance of about 140' feet towards the drowning boy and successfully brought him back to the bank of the river, alive, without anybody's help. Master Dilip Gulabrao Jadhav had thus endangered his life in rescuing the boy and has shown exemplary courage and presence of mind.

8. Shri Purushottamdas Chaganlal Agrawal,
Gondia, District Bhandara,
Maharashtra.

On 5th November, 1969, Shri Purushottamdas Chagnalal Agrawal had been to Salekasa forest along with his friends for botanical survey of bamboo plant. One of his companions, Shri Sharad Agrawal, was bitton by a snake. Immediately Shri P. C. Agrawal with great courage sucked the venom from the bite and lifted the victim to Salekasa Railway Station, where he was further treated in the hospital and saved. Thus Shri P. C. Agrawal saved Shri Sharad Agrawal's life at a great risk to his own life.

9. Shri Bholey Ram,
Village Hirapur Deohi,
Tehsil Bisalpur,
District Pilibhit,
Uttar Pradesh.

As a result of heavy rains, there were unprecedented floods in district Pilibhit in September 1969. People of village Deohi, Rampura, Arjunpura and Bhukshi in tehsil Bisalpur were surrounded by flood waters. On 25th September, 1969 Shri Bholey Ram, a boatman and labourer undertook the evacuation of the marooned people by employing his own boat. In spite of the fact that the floods were of high intensity and the plying of boats in the swift current was fraught with grave danger, Shri Bholey Ram successfully evacuated about one hundred people who were starving for two days. During one of the trips, the boat went out of control and it was with great courage and ingenuity that Shri Bholey Ram managed to tow it to safety after it was carried by the flood waters. During these operations, he had to go without food for about two days. Shri Bholey Ram displayed indomitable courage and fortitude in undertaking the hazardous task of saving the lives of about one hundred people in distress, at considerable risk to his own life.

10. Shri Ramadeval Pillai,
Sea I, No. 84035,
Indian Naval Ship Garuda,
Naval Base, Cochin-4,
Kerala.

Shri V. M. Kannappan, Chief Booking Clerk, Southern Railway, Cochin, was returning from Ernakulam to Willingdon Island with his family on 13th July, 1970. At about 8 P.M. while they were bourding the boat at Perumanoor Jetty, his daughter Kumari Sreedevi, aged 9 years, slipped and fell into the Ernakulam Channel which is well-known for its strong tide and under-water current. Shri Ramadeval Pillai, who happened to be standing nearby, immediately jumped into the water in complete disregard of his personal safety and rescued her.

11. Shri Sudhir Kumar Kathpalia,
33/13, Shakti Nagar,
Delhi-7.

On 30th January, 1970, the situation in Sonepat was tense following the decision of the Government regarding Chandigarh and some students of a College and others allegedly set fire to Government property at the Railway Station. Shri Sudhir Kumar Kathpalia, who was then in his College hostel, rushed to the site and, disregarding the fact that he would be incurring the displeasure of the people responsible for the act and exposing himself to the vengeance he struggled for five hours trying to extinguish the fire. He himself fought the fire at the initial stages and also helped the Fire Brigade when it arrived later. While making efforts to put down the fire, he lost his clothes and sustained burns.

Shri Sudhir Kumar Kathpalia did commendable work in extinguishing the fire.

12. Shri Kottarathil Krishnan Nair Raghavan,
Kottarathi House, Mudiyoorkara,
Perumbalkad,
Village and Post Arpookara,
District Kottayam,
Kerala.

On 18th April, 1970, at about 11.30 A.M., 8 girl students between 12 to 15 years old were crossing a tributary of the Meenachil river in a country boat. When the boat reached the middle of the river, it turned upside down and all the girls fell into deep waters. At that point, the river was about 50 metres broad and five and a half metres deep. Seeing the girls struggling for their lives, Shri K. K. Raghavan, who had come there to take bath, jumped into the river, sprang to their rescue and brought them to the shore one by one. As the condition of two of the girls rescued was serious, Shri Raghavan himself rushed them to the Medical College Hospital, Kottayam; but the girls died on the way. The timely action of Shri Raghavan saved the lives of 6 students and, in doing so, he showed conspicuous courage and faced grave risk to his own life.

13. Shri Venkataraman Ghuttappa Harikantra,
Village Helkar, Taluk Kumta,
District Dharwar, Mysore.

On 28th August, 1969, at about 8 A.M., Kumari Girija Rama Lakkumane, aged about 16 years, and her younger brother Master Vidyadhar, aged about 14 years, of village Chitrigi, Kumta Taluk, District North Kanara, had gone to the well to fetch water. While they were drawing water from the well, the wooden cross bar gave way and both of them fell into the well. A woman passing by raised an alarm. On hearing the alarm, many people gathered round the well, but none tried to save the children as the well was full of water at that time. Shri Venkataraman Ghuttappa Harikantra, who was passing by that way, immediately got into the well and saved both the children from drowning. In doing so he performed a brave act, unmindful of the risk to his own life.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

Department of Personnel

New Delhi, dated the 15th November 1971

CORRIGENDUM

No. 32/7/71-Estt. (E)—The following corrections shall be made in the Rules for Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination 1972 published in part I Section of the Gazette of India, dated the 3rd July, 1971 :—

Reference	For	Read/Insert/omit
1	2	3
Page 586 Col. 1		
Rule 1, line 4	Fololwing	Following
Page 586, *Col.* 2 Rule 5(*a*), line 4		Insert 2nd January' between the words 'than' and figure "1946"
Page 587, *Col.* 1 Rule 7, line 1		Insert 'in' after the word 'means'
Rule 12 line 7	'mut'	'must'
Page 588, *Col.* 1 *Appendix* 1-*A*		
Para 1 (*i*) line 1	Statistician	Statisticians
Para 1(*ii*) line 3,	'Delhi'	'New Delhi'
Page 588, *Col.* 2		
(A) The Indian Economic Service		
(*b*) Optional subjects Item (3)	Economics	Economic
Item (6)		Insert'*' before the bracket and figure '(6)'
Sub-para marked*, line 2		Insert, the bracket and words '(including Statisticalquality control), after the words 'Industrial Statistics'
(*B*) *The Indian Statistical Service*		
(*b*) Optional subjects, sub-para marked* line 3 (item i)		Omit the bracket and words "(including Statistical quality control)"
Line 4, item (iv)	Statises	Statistics

(1)	(2)	(3)
Page 589, *Col.* 1 SCHEDULE PART A		
Para 3, line 3	discipline	disciplines
Page 590, *Col.* 1 Item 6. Statistics II-		
NOTE, line 2	This	the
NOTE, line 3	Statitics	Statistics
(ii) Economics Statistics sub-para 4, line 3	Trends	Trend
Page 592, *Col.* 1		
16. Business Management and Commercial Law		
Sub-para 3, line 2	Chanels	Channels
Page 593, *Col.* 2		
Sub para 3, line 4	Supporting	Supporting
Page 594, *Col.* 1		
Sub-para 1, line 2	Etream	Stream
	Borticity	Vorticity
Page 596, *Col.* 1		
Para 10 (c), line 1	teech	teeth
Page 597, *Col.* 1		
(a) *candidate statement and declaration last line*		insert 'my' after the word 'of'

K. V. MAHALINGAM, *Under Secretary*

New Delhi, dated the 15th November, 1971

CORRIGENDUM

No. 32/13/71-*Estt.* (*E*).—The following corrections shall be made in the Rules for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service (Released Emergency Commissioned, Short Service Commissioned Officers) Examination, 1972 published in part I Section 1 of the Gazette of India, dated the 24th July, 1971:—

Reference (1)	For (2)	Read Insert/Omit (3)
Page 684, *Col.* 1		
1. Rule 1, line 1	32/113/71-Estt. (E)	32/13/71-Estt (E)
2. Rule 1, line 4	'Shrot'	'Short'
3. Rule 4, line 2	'Commission'	'Commissioned'
4. Rules 4, Note 2 (i) line 3	—	**Insert the word 'the' between the words 'in accordance with' and 'phased programme'**
Page 685, *Col.* 1		
1. Rule 6 (*b*) (*xi*) line 2	.Operation'	'Operations'
2. Rule 6 (*b*) (*xiii*)	'poined'	'joined'
3. Rule 6 (*b*) (*xiv*) line 6	—	Omit the word 'and'
4. Rule 6 (*b*) (*xv*) line 6	(.)	(; and)
5. Note, below Rule 7 line 2	'actualy'	'actually'
Page 685, *Col.* 2 Rule 16, line 1	'canidates'	'Candidates'
Page 687, *Col.* 1 SCHEDULE PART A		
2. General Knowledge:— line 7	'Indian'	'India'
Page 687, *Col.* 2		
4. Economic II Planning in India line 2	'Problem'	'Problems'
Page 688, *Col.* 1		
(1) (*ii*) Economic Statistics		
(*a*) line 1,	'numbers'	'number'
(*b*) para 4, line 2	'Seris'	'Series'
(*c*) para 5, line 2	'satistical'	'Statistical
Page 688, Col. 1		
Mental tests. Para 1, line 3	'validition'	'validation'
Page 689 *Col.* 1		
(*i*) Appendix 3 para 3, line 1	'he'	'the'
(*ii*) *Appendix IV*		
(*a*) Regulation 1, line 1	'candiate'	'candidate'
(*b*) Regulation 2, last line	'the the'	'the'
Page 690, *Col.* 1		
Regulation 6 (9) (iii) (ii)	'Full'	'has Full'
Page 691 *Col.* 2		
(*a*) candidate's statement and declaration item 2 (*a*), line 2	'Gorthas'	'Gorkhas'
Page 692 *Col.* 1		
Item 6, last sub-item	-	Insert 'at' between the words 'ages' and 'and course
Page 692 Col. 2 Item 14, line 4	-	Insert the word 'the' before the word 'efficient'

K. V. MAHALINGAM, *Under Secy.*

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 16th November 1971

No. 3(17)-*Tex*(*D*)/68.—On the expiry of his deputation to the Industrial Finance Corporation of India, New Delhi, Shri S. Guha, assumed charge of the post of Assistant Director (Jute Manufacture) in the Office of the Jute Commissioner, Calcutta with effect from the 16th September, 1971 (forenoon) *vice* Shri B. N. Basu reverted to the post of Assistant Director (Technical) in the same office.

Shri D. K. Dutta, officiating Assistant Director (Technical) in the Office of the Jute Commissioner, Calcutta, reverted to the post of Inspector (Gr. I) (Technical) in the same office with effect from the 16th September, 1971 (forenoon).

No. 3(16)-*Tex*(*D*)/70.—The President has been pleased to allow Shri K. P. Narayan, to continue to officiate in the post of Executive Officer in the Office of the Jute Commissioner Calcutta for a further period of 3 months with effect from 1st October, 1971 or till the date the post is regularly filled, whichever is earlier.

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

No. 5-*VIII*(28)/69-*PLY.*—In pursuance of a recommendation of the Central Family Planning Council made at its Seventh meeting held at Jaipur on the 14th and 15th October, 1971, the Government of India are pleased to constitute a Committee to examine and make recommendations regarding

the proposal of certain State Governments for the location of Family Welfare Planning Centres at places other than the main Primary Health Centres.

2. The composition of the Committee shall be as under :—

Chairman

Union Secretary for Health and Family Planning.

Members

Joint Secretary, Deperatment of Family Planning.
Director General of Health Services or his representative.
Commissioner, Family Planning.
A representative of Ministry of Finance.
A representative of Planning Commission
Health Secretary, Punjab.
Health Secretary, Bihar.
Health Secretary, Tamil Nadu
Health Secretary, Maharashtra.
Health Secretary, Gujarat.
Health Secretary, Orissa.

Convener

Deputy Secretary (P), Deptt. of Family Planning.

3. The terms of reference of the Committee shall be as follows :—

1. to consider and advice whether for the provision of better Health and Family Planning services in the rural areas, the States should have discretion to locate in suitable cases, the Family Welfare Planning Centres at a place other than the main Primary Health Centre and the conditions subject to which such discretion should be exercised;
2. To consider and recommend whether or not Rural Family Planning Centres should be set up in advance in the development blocks where Primary Health Centres have not so far been established and if so, on what conditions;
3. The Committee should submit its report latest by the end of January, 1972.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

The 15th November 1971

No. F. 11016-58/71-*MEM(FP)*.—In the Ministry of Health & Family Planning (Department of Family Planning) Resolution No. 11-36/69-MEM(FP), dated the 12th May, 1971 regarding reconstitution of the 'Family Planning Education Coordination Committee', item 10 should be *substituted* by the following :—

"10. Joint Secretary, Bureau of General Education, Ministry of Education and Youth Services—*Member*."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for information.

R. N. MADHOK, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi-1, the 20th October 1971

No. 10-2/71-*FAIT*.—On the expiry of the terms of the present members representing the Rural People's Interests, the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry and the Farmers' Forum of the National FAO Liaison Committee constituted under the Ministry of Agriculture in Resolution No. F. 16-72/47-Policy, dated the 8th November, 1948 and reconstituted under Resolution No. 10-1/65-FAIT, dated the 9th September, 1966, as amended to date, the following have been nominated to serve on this Committee as representative of the Rural People's Interests, the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, and the Farmers' Forum, for a period of three years as indicated against them :—

Representatives of the Rural Peoples' Interests w.e.f. 1-7-71

1. Shri Sharad Pawar, M.L.A, Baramati, Distt. Poona, (Maharashtra).
2. Shri Madhav Singh Solanki, M.L.A., Swastic Society 'B' Ahmedabad-9 (Gujarat).
3. Shri Braja Mohan Mohanty, M.L.A., Advocate, Puri (Orissa).
4. Shri Ayee Gounder, Agriculturist, Kasi Palayam P.O. Gopichettipalayam, Coimbitore, (Tamil Nadu).
5. Shri Raj Narain Mishra, Advocate, Patel Nagar, Orai, Distt. Jalaun, (Uttar Pradesh).

Representative of the F.I.C.C. & I. w.e.f. 1-9-71

6. Shdi V. S. Aggarwal, M/s. Basheshardayal Shantiswarup, 29 A, Banstalla Street, Calcutta-7 (West Bengal).

Representative of the Farmers' Forum, India w.e.f. 1-10-71

Dr. D. A. Bholey, Secretary Bharat Krishak Samaj, (Farmers' Forum, India), A-1, Nizamuddin West, New Delhi-13

KAMALA PRASAD, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 15th November 1971

No. 21-2/71-*LDI*.—Maulana Ishaq Sambhali, Member, Lok Sabha, is appointed as a member of the Government Body of the Delhi Milk Scheme, as reconstituted under this Department Resolution No. 19-134/67-DD/LDI, dated 14-10-1968.

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Delhi Administration, all Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Sectt., Prime Minister's Sectt., the President Sectt., the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Chief Auditor of Commercial Accounts, the Indian Council of Agricultural Research, the Director General of Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the President, New Delhi Municipal Committee, the Chairman, Delhi Milk Scheme.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

(I.C.A.R.)

New Delhi, the 12th November 1971

*No. F.*34(11)/71-*CDN(I)*.—Under the provision of Section 7(1) of the Agricultural Produce Cess Act, 1940 (Act No. XXVII of 1940) read with Rule 2(i) of the Rules of the India Council of Agricultural Research, the Government of India has been pleased to nominate Shri S. K. Ghosh, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure (Food and Agriculture Division) as the Financial Adviser to the Society *vice* Shri G. K. Bhanot, transferred, and as such a member of the Standing Finance Committee of the Council under Regulation 2(iii) of the Standing Finance Committee Regulations.

M. L. RAY, Dy. Secy.

Department of Science and Technology

New Delhi, the 16th November 1971

No. 18(1)*Adm.I/71-DST*.—In pursuance of Article 89 of the Articles of Association of the National Research Development Corporation (a Company registered under the Companies Act of 1956), the President is pleased to appoint the following as Directors on the Board of Directors of the Corporation for a period of one year with effect from the 15th September, 1971 :—

1. Shri M. S. Pathak, Member, Planning Commission, Yojna Bhavan, New Delhi-1.
2. Dr. C. Ambasankaran, Head, Tech. Physics Division, Atomic Energy Commission, Trombay, Bombay-85.
3. Prof. P. K. Kelkar, Director, Indian Institute of Technology, Powai, Bombay-76 NB.

4. Shri A. J. Kidwai, Additional Secretary, Department of Science & Technology, Yojna Bhavan, New Delhi-1.

5. Shri V. Krishnamurthy, General Manager, M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Tiruchirappalli-14.

6. Shri L. Kumar, Adviser, Ministry of Petroleum & Chemicals, Shastri Bhawan, New Delhi.

7. Dr. B. D. Nag Chaudhri, Scientific Adviser to Defence Minister, South Block, New Delhi-11.

8. Dr. Y. Nayudamma, Director General, CSIR, Rafi Marg, New Delhi-1.

9. Dr. Pranlal Patel, Managing & Technical Director, Malleable Iron & Steel Casting Co. (P) Ltd., 23-B, Juhu Tara Road, Bombay-54.

10. Shri K. B. Rao, Director General, Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi-11.

11. Dr. T. K. Roy, Managing Director, Chemical & Metallurgical Design Co. (P) Ltd., A-60, Kailash, New Delhi-48, and

12. Dr. C. V. S. Ratnam, Managing Director, N.R.D.C. of India, 61, Ring Road, Lajpat Nagar III, New Delhi-24. (Managing Director).

In accordance with Article 103 of the Articles of Association, the President is pleased to nominate Shri M. S. Pathak as Chairman of the Board of Directors of the Corporation.

A. J. KIDWAI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971